100
100
प्रकरण सं. 31/2025 उदयराम बनाम सांवरमल

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
5/12/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उप० प्रकरण में अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 को बार-बार आवाजे लगाई गई। उपस्थित नहीं आये। एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते अंतिम बहस हेतु दिनांक 18/12/25 को पेश हो। 5/12/25
18/12/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराव करते हुये निवेदन किया कि ग्राम लाडिया की आराजी नं. 411 रकबा 1.4162 है. भूमि उपरोक्त आराजी की सहखातेदारी भूमि है जिसमें प्रार्थीगण सं. 1 लगा. 5 प्रत्येक का 1/20 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, प्रार्थीगण सं. 6 लगा. 8 का प्रत्येक का 1/12 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, प्रार्थीगण सं. 9 लगा. 11 प्रत्येक का 1/12 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, इस प्रकार प्रार्थीगण का 3/4 हक हिस्सा है। जबकि विपक्षी सं. 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/4 हक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। विपक्षी सं. 1 व 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि में बिना विभाजन कराये विनिर्दिष्टीकृत हिस्से में नींव खोदकर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 व 2 की वादग्रस्त सहखातेदारी की आराजीयात का विभाजन होने तक विपक्षी सं. 1 व 2 को मौके पर बिना सक्षम स्तर से संपरिवर्तन कराये बिना निर्माण कराने के कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षी सं. 1 व 2 को मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद फरमाया जावे। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरुद्ध विपक्षी सं. 1 व 2 स्वीकार फरमाया — लगातार — 18/12/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

दिनांक	
18/12/25	जाकर मूलवाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद फरमाया जावे।

प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस का मनन एवं चिंतन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सम्बन्धित विधि का अनुशीलन किया गया। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि ग्राम दादिया की आराजी नं. 411 रकबा 1.4162 हे. भूमि प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 व 2 की सहखातेदारी भूमि है जिसमें विपक्षी सं. 1 व 2 द्वारा बिना विभाजन कराये निर्माण कराये जाने से मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाना प्रथमदृष्टया उचित है क्योंकि विपक्षी सं. 1 व 2 द्वारा मौके पर निर्माण कर लिये जाने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का उद्देश्य ही पूर्णतया निष्फल हो जायेगा। अतएव

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विपक्षी सं. 1 व 2 के विरुद्ध स्वीकार किया जाता है और उभयपक्षकारान को मूलवाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो।

18/12/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा